V-220
26/12/2023

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

क्रमांकः जविप्रा/जोन-2/2023/डी- 2448 दिनांक 22-12-23

पट्टा विलेख निरस्तीकरण आदेश

श्री रामगोपाल चौधरी पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय निवासी 7/31, विधाधर नगर, जयपुर द्वारा खरीद की गई दुकान संख्या 12, सेक्टर-8, विधाधर नगर, जयपुर का फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 अन्तर्गत दिनांक 14.08.2023 को ऑफ लाईन आवेदन पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात दुकान से सम्बन्धित मूल दस्तावेज गुमशुदगी की ऑन लाईन रिपोर्ट दिनांक 29.07.2023, दैनिक भास्कर संस्करण दिनांक 07.08.2023 में प्रकाशित खोया-पाया की मूल प्रति, उप-महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक-तृतीय, जयपुर से मूल आवंटी श्री एल.एन.रावत पुत्र श्री प्रभाती लाल द्वारा श्री सौरभ महेश्वरी एवं श्री शिव महेश्वरी पुत्रान श्री जानकी प्रसाद के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.07.1993, उप-पंजीयक, जयपुर-पंचम के यहॉ से श्री सौरभ महेश्वरी व श्री शिव महेश्वरी के पक्ष में निष्पादित लीज डीड संख्या 2076 दिनांक 29.03.2005, श्री सौरभ महेश्वरी व श्री शिव महेश्वरी द्वारा श्री रामगोपाल चौधरी पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2006 की प्रमाणित छाया प्रतिया प्रस्तुत करते हुए इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रपत्र रुपये 50.00 पर श्री राम गोपाल चौधरी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि दुकान से सम्बन्धित मूल दस्तावेज कही गुम हो गये, जिसकी एफ.आई. आर. विद्याधर नगर थाने में दर्ज करवाई गई, खोया-पाया में विज्ञापन कराया गया एवं उक्त दुकान पर परिवार सहित निवास कर रहा हूँ तथा मेरे कब्जे में है व उक्त दुकान को किसी को भी बेचान नहीं किया गया है से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत कर दुकान संख्या-12, क्षेत्रफल 50 व.ग., शॉपिंग सेन्टर सेक्टर-8, विद्याधर नगर, जयपुर का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर दुकान का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 2175 दिनांक 11.09.2023 को जारी किया गया है।

श्री बलराम पुत्र श्री गिर्राज सिंह निवासी ग्राम पोस्ट जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर से उक्त दुकान के सम्बन्ध में दिनांक 03.11.2023 को शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्रांक डी-2477 दिनांक 06.11.2023 को शिकायतकर्ता एवं फ्री होल्ड लीजधारक श्री राम गोपाल चौधरी को पत्र जारी कर 7 दिवस में स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके सम्बन्ध में शिकायकर्ता श्री बलराम द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर श्री रामगोपाल चौधरी द्वारा उनके पक्ष में दिनांक 09.01.2019 को निष्पादित अपंजीकृत इकरारनामा व विक्रेता द्वारा दुकान से सम्बन्धित मूल दस्तावेजात यथा कब्जा पत्र,

उपायुक्त जोन-2
ज. वि. प्रा. जयपुर

विक्रय पत्रादि, नाम हस्तान्तरण व लीज डीड जो क्रेता/शिकायतकर्ता को संभलाये गये है की स्वःप्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही रामगोपाल चौधरी के पक्ष में नहीं करें अथवा कोई कार्यवाही हो गई हो तो तत्काल नियमानुसार निरस्त/खारिज करें एवं ऐसे व्यक्ति के खिलान विधि सम्मत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावें। परन्तु श्री रामगोपाल चौधरी उपस्थित नहीं हुए।

राजस्थान राजपत्र विशेषांक चेत्र-25 गुरूवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दू संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54घ का अंतः स्थापन-आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर शिकायकर्ता के प्राप्त पक्ष के पश्चात श्री रामगोपाल चौधरी को पुनः पत्रांक 2257 दिनांक 17.11.2023 द्वारा जारी पत्र दिनांक से 7 दिवस में साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने, प्रकरण के निपटारे तक किसी भी प्रकार का किरायानामा अथवा बेचाननामा निष्पादित नहीं करने का उल्लेखत करते हुए अंतिम अवसर प्रदान किया गया। जिसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि पक्ष प्रस्तुत नहीं करने की दशा में बाद मियाद नियमानुसार कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही को खारिज करते हुए आपके विरूद्व विधि सम्मत कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जावेगी।

श्री रामगोपाल चौधरी पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय चौधरी को इस कार्यालय के पत्रांक डी-277 दिनांक 06.11.2023 के द्वारा दुकान से सम्बन्धित समस्त मूल दस्तावेज लेकर कार्यालय में 7 दिवस में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। जिसका प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर इस कार्यालय के पत्रांक डी-2257 दिनांक 17.11.2023 के द्वारा पत्र जारी तिथि से 7 दिवस में साक्ष्य सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया।

श्री रामगोपाल चौधरी द्वारा उक्त अंतिम पत्र दिनांक 17.11.2023 के सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है वरन पूर्व जारी पत्र दिनांक 06.11.2023 जिसमें जवाब प्रस्तुत करने की अवधि 7 दिवस थी के सम्बन्ध में लगभग 22 दिवस पश्चात इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता श्री बलराम द्वारा की गई शिकायत व उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति आर.टी.आई. से प्राप्त करने के पश्चात ही उचित प्रकार से शिकायत की जवाबदेही संभव होगी।

श्री राम गोपाल चौधरी को अपना पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु द्वितीय पत्र/अंतिम पत्र दिनांक 17.11.2023 के द्वारा अंतिम रूप से 7 दिवस का समय दिया गया था जिसके सम्बन्ध में लगभग 33 दिवस पश्चात भी कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

राजस्थान राजपत्र विशेषांक चेत्र-25 गुरूवार शाके 1943 अप्रेल 15, 2021 में मुद्रित अध्याय 4-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के बिन्दू संख्या (7) 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54घ का अंतः स्थापन-आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण के आधार पर इस प्रकार प्रकरण में संदेह उत्पन्न होता है कि श्री रामगोपाल चौधरी ने उक्त दुकान के बेचान का अपंजीकृत इकरारनामा

उपायुक्त जोन-2
ज. वि. प्रा. जयपुर

दिनांक 09.1.2019 को ही शिकायतकर्ता श्री बलराम पुत्र श्री गिर्राज सिंह को किये जाने के पश्चात भी कूटरचित दस्तावेजात के आधार पर कार्यालय से लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा दिनांक 11.09.2023 को प्राप्त कर है जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन मानते हुए एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

प्रकरण भूखण्ड के स्वामित्व से सम्बन्धित है। अतः उक्त कार्यालय द्वारा जारी लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा विलेख तब तक माननीय न्यायालय से स्वामित्व का निर्धारण नहीं होता है तब तक उक्त भूखण्ड का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा विलेख निरस्त किया जाता है।

उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ लीज होल्ड से फ्री होल्ड जारी पट्टे के जारी की तिथि से उपरोक्त रद्दकरण आदेश जारी करने की तिथि तक प्रश्नगत भूखण्ड या इसके किसी भाग पर यदि किसी तृतीय पक्षकार के हित निहित हो गया है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक श्री रामगोपाल चौधरी पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय की होगी, तथा जयपुर विकास प्राधिकरण किसी भी रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।

-sd-
(जगदीश नारायण यादव)
उपायुक्त, जोन–2, जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. श्रीमान आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3. उपमहानिरीक्षक, मुद्रांक वृत्त प्रथम, वृत्त द्वितीय, वृत्त तृतीय, जयपुर को भेजकर लेख है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना विधाधर नगर के सेक्टर–8, दुकान संख्या 12 क्षेत्रफल 50.00 व.ग. का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक 2175 दिनांक 11.09.2023 को निरस्त कर दिया गया है। अतः उक्त भूखण्ड की लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे विलेख को पंजीकृत नहीं किया जावें तथा इसके विक्रय एवं अंतिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेजों को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सभी उप–पंजीयक को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा0, जयपुर
5. श्री रामगोपाल चौधरी पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय निवासी (1) 7/31, विधाधर नगर, जयपुर (2) दुकान नम्बर–12, शॉपिंग सेन्टर, सेक्टर–8, विधाधर नगर, जयपुर को प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप भूखण्ड का लीज होल्ड से फ्री पट्टा विलेख मय संलग्न के तुरन्त जोन–02 कार्यालय मे जमा करावें।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा विलेख को रद्द करने की आम सूचना दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जावें।
7. श्री बलराम पुत्र श्री गिर्राज सिंह निवासी बीपीओ पोस्ट जनुथर, तहसील जनुथर जिला डीग को सूचनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली

(जगदीश नारायण यादव)
उपायुक्त, जोन–2, जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-2
ज. वि. प्रा. जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2023/डी– 3851 दिनांकः– 22/12/2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री मुकेश जैन	डी–513	जविप्रा	मालवीय नगर	पट्टा	मुख्तयारनमा आम, मृत्यु प्रमाण पत्र

22/12/22
उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

E/lallu/Raghunath Ji/vigyapti

आमसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कीर्ति सागर–एफ के भूखण्ड संख्या एफ–85 क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज का भूखण्डधारी द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 188 व 194 से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान मे जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.09.2021 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/हितधारी/खातेदार को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारी को पट्टा विलेख जारी कर दिया जायेगा।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।
यू.ओ. नोटक्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन–पी.आर.एन.(दक्षिण–द्वितीय)/2023/डी–2298
दिनांक 21.12.2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./पीआरएन–उत्तर(द्वितीय)/2023/डी– 1166 दिनांकः– 21/12/23

–ःसार्वजनिक सूचनाः–

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर–द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये है। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैंः–

क. स.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	रमेश कुमार मीणा/सांवताराम मीणा (सूरजपोल गेट गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 की योजना–कल्याण विहार,)	17	146.66
2	विक्रान्त सिंह/महेन्द्र सिंह (दी शिवा को–आपरेटिव सोसायटी लि0 की योजना–अयोध्या नगर–डी)	डी–17	111.11
3	सतीश कुमार/आन्नद किशोर केशोट (श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना–अरिहन्त वाटिका–बी)	13बी	255.80
4	नीरज बंसल/ओमप्रकाश बंसल (भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना–कल्याण विहार)	8	300
5	रामेश्वरी कुमावत/झूथाराम कुमावत (श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना–श्री गिरिराज विहार)	98	74.27
6	दीनदयाल शर्मा/राजाराम शर्मा (भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना–मां करणी नगर–एफ)	46	216
7	राहुल विजय/आनन्द विजय (दी शिवा को–आपरेटिव सोसायटी लि0 की योजना–अयोध्या नगर–बी)	बी–139बी	90.55
8	बेबी शर्मा/ताराशंकर शर्मा (श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना–सुमन विहार)	35	150
9	अजय सिंह चौहान/श्याम सिंह चौहान (सिन्धु नगर को–आपरेटिव सोसायटी लि0 की योजना–मोती विहार)	60	266.66
10	राजीव चौधरी एंव राकेश चौधरी पुत्रान श्री नाथूराम जाट (अपोलो नगर को–आपरेटिव सोसायटी लि0 की योजना–हीरा नगर–ए वेस्ट)	137ए	125.30

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा जयपुर।

उपायुक्त
पी.आर.एन. (उत्तर–II)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन <u>राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज</u> में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

2- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांकः–जविप्रा / उपा. / पीआरएन–उत्तर(द्वितीय) / 2023 / डी– 1167 दिनांकः– 22/4/23

–ःआम सूचनाः–

अपील संख्या 650 / 2018 के क्रम में बाबा आर एन गौड गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर की योजना–द्रोणपुरी, के क्रम में अनुमोदित योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 133–एच एंव भूखण्ड संख्या 125 के मध्य अनुमोदित 30 फिट चौडी सडक को विलोपित कर उसके स्थान पर मौका स्थिति अनुसार भूखण्ड संख्या 133–। सृजन कर कविता अवाना / विमल कुमार अवाना को आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड सृजन एंव योजना मानचित्र में संशोधन की कार्यवाही माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा,जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन **राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज** में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

2. उक्त पत्रावलीयों **में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही** करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II

Azadi Ka Amrit Mahotsav

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकःजविप्रा/उपा. जोन–8/2023/डी–3397 दिनांकः–22/12/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भूखण्ड क्षे0	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती अनिता साहू पत्नी श्री गोविन्द प्रसाद साहू	श्रीमती धापा बाई साहू पत्नी श्री सूरजमल साहू	33	303.33 व0ग0	श्यामपुरी गृ0नि0स0समिति लि0	कृष्णा विहार	फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु	सदस्यता सूची में भू.सं. 33 अंकित नहीं होने के कारण
2	श्रीमती रेखा जैन पत्नी सुपार्श जैन	श्रीमती रेखा जैन पत्नी सुपार्श जैन	94	400 व0ग0	इन्द्रा गृ0नि0स0समिति लि0	श्री कुशल नगर	फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु	मूल दस्तावेज गुम हो जाने के कारण
3	मैसर्स गो कनेक्ट प्रा0लि0 जरिये निदेशक श्री संजीव कुमार पुत्र श्री सज्जन लाल	श्रीमती रेणु जैन पत्नी श्री संतोष जैन	92	200 व0ग0	निजी खातेदारी	कृष्णा सागर	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु	मूल पट्टा, स्थल मानचित्र एवं स्टाम्प गुम हो जाने के कारण

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा. जोन–8/2023/डी– 3396 दिनांक 22/12/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड / दुकान	भूखण्ड क्षे0 (व0ग0)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री रामेश्वर राम पुत्र श्री प्रताप लाल	श्री झाबरमल मीणा पुत्र श्री बंशीधर मीणा	122बी	111.11	बन्धु गृ.नि. स.स.	स्कीम नम्बर 24 विमान विहार	फ्री होल्ड	सदस्या सूची में मूल आवंटी का नाम नहीं होने से।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा / जोन–06 / उपा. / डी– 3599 दिनांक 26-12-23

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयुपर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :– धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय); फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.......3599 दिनांक.......26-12-23

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और *इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी* व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **श्री गणपति गृ.नि.स.स** की योजना **गणेश नगर–4सी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
झोटवाड़ा जयपुर	277	0.0632 हैक्ट	ईश्वर पुत्र लादिया हि. 1/18 जाति माली, कोयली पत्नी श्री स्व. लल्लू हि. 1/18 जाति माली, गंगू पुत्र धीस्या हि. 1/6 जाति माली, गोविन्दा पुत्र लक्ष्मण हि. 1/6 धन्ना पुत्र लक्ष्मण हि. 1/6 जाति माली, फुविडिया पुत्र श्योला हि. 1/6 जाति माली, बीज्या पुत्र श्योला हि. 1/6 जाति माली, भौरीलाल पुत्र लादिया हि. 1/18 जाति माली सा.देह खातेदार
	280	0.2276 हैक्ट	कजोड पुत्र नरसिंह हि. 1/20 जाति माली, गलखा पुत्र बीज्या हि. 1/5 जाति माली, जगल्या पुत्र बीज्या हि. 1/5 जाति माली, नानू पुत्र बीज्या हि. 1/5 जाति माली, बाबूलाल पुत्र नरसिंह हि. 1/10 जाति माली, भंवरलाल पुत्र नरसिंह हि. 1/20 जाति माली, श्यामा पुत्र बीज्या हि. 1/5 जाति माली सा.देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक..को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।